मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

1. मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये। जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के गठन संबंधी राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई। बोर्ड की मुख्य भूमिका -

1. जैवविविधता का संरक्षण,
2. उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा
3. जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 (ब) के संबंध में राज्य शासन को सलाह (Advisory) देना तथा धारा 24 (ब) के तहत जैव संसाधनों के तहत जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में नियामक (Regulatory) की भूमिका है।

2. प्रदेश की जैवविविधता संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दी गयी सलाह का क्रियान्वयन -

2.1. **मुर्गे की स्थानीय नस्ल 'कड़कनाथ' को जी.आई. टेग** - मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की सलाह से मध्यप्रदेश की विशिष्ट मुर्गी की प्रजाति कड़कनाथ के लिए Geographical Indication का दर्जा प्राप्त किया गया।

2.2. **मडबॉल कार्यक्रम** - प्रदेश के मौसमी फलों एवं जंगलीय प्रजातियों का बीज संग्रहण कर उनका संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 में **मडबॉल कार्यक्रम** प्रारंभ किया गया तथा वन विभाग स्तर पर भी यह कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सलाह दी गयी। इसके अंतर्गत मौसमी फलों एवं जंगलीय प्रजातियों के बीज एकत्रित कर मडबॉल बनाकर बीजा रोपण किया जाता है। ***वर्तमान में वन विभाग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा यह मडबॉल कार्यक्रम अपनाकर प्रदेश की जैवविविधता का संरक्षण किया जा रहा है।***

2.3. **मध्यप्रदेश वानस्पतिक जैवविविधता रोपणी योजना -** प्रदेश में वानस्पतिक जैवविविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा **मध्यप्रदेश वानस्पतिक जैवविविधता रोपणी योजना - मानकीकरण व तकनीकी मार्गदर्शिका** नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। बोर्ड की सलाह से वन विभाग द्वारा की नर्सरियों में तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में कम से कम 5-10 प्रतिशत वानस्पतिक जैवविविधता संबंधित संकटापन्न प्रजातियों का रोपण किया जावेगा।

2.4. **मध्यप्रदेश के खुले वनों की पुनर्स्थापना** - मध्यप्रदेश के खुले वनों को पुनर्स्थापित कर जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भावी पीढियों के लिए जल सुरक्षा प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा वन विभाग को सलाह दी गयी।